न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1268–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 05–03–13 पारित आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 198/2011–12 अपील.

फतेह सिंह पुत्र रणधीरसिंह सेंगर
निवासी थोराट की गोठ, लोहिया बाजार,
लश्कर, ग्वालियर कृषक ग्राम गोधन,
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर, म0प्र0 ——— आवेदक

विरूध्द

राजकुमार सिंह पुत्र कुन्दनसिंह (मृत)
वारिसान–
1– श्रीमती उषादेवी पत्नी स्व. राजकुमार
2– शिवप्रताप सिंह पुत्र स्व. राजकुमार
3– कृष्णा पत्नी अजयप्रताप सिंह तोमर
4– मीनाक्षी पुत्री स्व. राजकुमार सर. संजीवसिंह
समस्त नि0 न्यू बस स्टेन्ड के पास पचमढ़ी
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर,म0प्र0 ——— अनावेदकगण

श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक – आवेदक
श्री जितेन्द्र त्यागी, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक २५ जुलाई, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के अपील प्रकरण कमांक 198/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 05–03–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गोधन स्थित कुल रकबा 7.665 हे0 भूमि आवेदक फतेहसिंह पुत्र रणधीरसिंह एवं सुरेन्द्रसिंह पुत्र कुन्दनसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज थी। इस प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 हिस्से पर बाप के जमाने से काबिज होकर खेती करने के आधार पर अनावेदक राजकुमार ने कब्जा अंकित करने हेतु आवेदनपत्र संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने दिनांक 4-11-96 को प्रकरण दर्ज कर इश्तहार जारी करने तथा पटवारी रिपोर्ट मँगाने के आदेश दिये। तत्पश्चात दिनांक 17-1-97 को आवेदक साक्षी रामदयाल तथा भगवानसिंह के कथन अंकित करने के बाद प्रकरण आदेश हेतु नियत किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 14-2-97 व्दारा फतेहसिंह के स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 हिस्से पर राजकुमार पुत्र कुन्दनसिंह का संवत 2053 से निरन्तर कब्जा मानकर खसरे में अंकित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द फतेहसिंह व्दारा प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 09 08 12 व्दारा समयावधि बाह्य मानकर खारिज की। व्दितीय अपील आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 05-03-13 व्दारा सिविल न्यायालय में स्वत्व का प्रकरण प्रचलित होने से खारिज की गयी है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषको व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व में राजस्व अभिलेख में अंकित है। तहसील न्यायालय व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा अंकित करने के पूर्व आवेदक को सूचनापत्र तामील नहीं किया और ना ही उन्हे सुनवायी का अवसर प्रदान किया। आवेदक व्दारा तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उनका यह भी तर्क है कि

संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत नवीन प्रविष्टि नही की जा सकती। धारा 115 के अन्तर्गत तहसीलदार व्दारा स्वमेव गलत प्रविष्टि का सुधार किया जा सकता है तथा धारा 116 के अन्तर्गत प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुध्दिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन दिया जा सकता है। आवेदक का आवेदनपत्र संहिता की धारा 115/116 की परिधि में नहीं आता, इस कारण तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार विहीन होने से शून्यवत है और समयावधि के आधार पर अपीलीय न्यायालय ने यथावत रखने में भूल की है। उनका अन्त में यह तर्क है कि आवेदक व्दारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरूध्द अपील सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के पूर्व ही प्रस्तुत की गयी। अनावेदक की जानकारी में आने पर अनावेदक व्दारा सिविल न्यायालय में स्वत्व घोषणा का वाद दायर किया गया है। सिविल न्यायालय ने दिनांक 24–01–13 को मात्र विक्रय पर रोक लगायी है, कार्यवाही स्थगित करने का आदेश नहीं दिया गया। आयुक्त व्दारा सम्पूर्ण तथ्यों एवं अभिलेख आदि का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अभिभाषक व्दारा 2006 रा.नि. 104, 2007 आर.एन. 199 तथा 1994 आर.एन. 411 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 भाग पर अनावेदकगण के पिता का कब्जा बेरोक–टोक निरन्तर बाबा के समय से है। पटवारी व्दारा खसरे में कब्जा अंकित नहीं किये जाने से अनावेदक राजकुमार व्दारा धारा 115/116 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार व्दारा विधिवत इश्तहार प्रकाशित करने के पश्चात साक्ष्य लेने के बाद कब्जा अंकित करने के आदेश दिये हैं जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उनका तर्क है कि आवेदक व्दारा तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर भी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 13 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतः समयावधि बाह्य है, इस कारण

अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील समयावधि बाह्य होने से खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उनका अन्त में तर्क है कि स्वत्व संबंधी वाद सिविल न्यायालय में प्रचलित है, इस कारण राजस्व एवं सिविल न्यायालय में समान्तर कार्यवाही प्रचलित रखने का कोई औचित्य नहीं होने से विव्दान आयुक्त व्दारा अपील समाप्त करने में कोई गलती नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ इस न्यायालय में तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिकाओं एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने दिनांक 4–11–96 को राजकुमार व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा दर्ज करने हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज कर इश्तहार जारी करने तथा पटवारी ग्राम से रिपोर्ट लेने के आदेश दिये और प्रकरण दिनांक 18–12–96 को नियत किया। आदेश पत्रिका दिनांक 18–12–96 में यह अंकित है कि इश्तहार का प्रकाशन किया। कोई आपत्ति नहीं आई। पटवारी ग्राम उपस्थित रिपोर्ट पेश किया। आवेदक साक्ष्य पेश करें और प्रकरण 17–1–97 को नियत किया। आदेश पत्रिका दिनांक 17–1–97 में यह अंकित है कि –

"प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक उपस्थित। साक्षी रामदयाल तथा भगवानसिंह उपस्थित। सभी के कथन अंकित किये गये। प्रकरण आदेशार्थ. सी एफ 14–2–97."

तहसीलदार ने आदेश दिनांक 14–02–97 को फतेहसिंह के स्वत्व की 1/2 भूमि पर अनावेदक राजकुमार का कब्जा संवत 2053 से निरन्तर मानकर खसरे में कब्जा अंकित करने के आदेश दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि आवेदक फतेहसिंह प्रश्नाधीन भूमि का अभिलिखित भूमिस्वामी होने के बाद भी तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व ना तो उस प्रकरण में पक्षकार बनाया और ना ही सूचनापत्र जारी कर सुनवायी का अवसर प्रदान किया। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत तहसीलदार

व्दारा स्वमेव गलत प्रविष्टि का सुधार किया जा सकता है तथा धारा 116 के अन्तर्गत प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुध्दिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन दिया जा सकता है अर्थात संहिता की धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत गलत प्रविष्टि का सुधार किया जा सकता है और कोई नवीन प्रविष्टि करने के आदेश धारा 115/116 के अन्तर्गत नहीं दिये जा सकते। चंदनसिंह विरूध्द कृपालसिंह (2006 रा.नि. 104) में राजस्व मण्डल व्दारा यह व्यवस्था दी गयी है कि –

"धारा 121, 115 तथा 116– नि. 7 तथा 8 (धारा 121 के अधीन)– नियमों में खसरा तैयार करने के लिये निर्देश और प्रकिया का उपबन्ध है– नियमों के अधीन कोई मामला विनिश्चित नहीं किया जा सकता– किसी भी धारा 115, 116 तथा 121 के अधीन कब्जा अभिलिखित नहीं किया जा सकता– कब्जा अभिलिखित करने के लिये धारा 121 के अधीन तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल नहीं किया जा सकता।

धारा 116– न तो नया अधिकार सिध्द किया जा सकता है और न नयी प्रविष्टि की जा सकती है।"

रामस्वरूप वि. कलावती तथा अन्य (2007 रा.नि. 199) में भी राजस्व मण्डल व्दारा यह व्यवस्था दी है कि –

"धारा 115,116 तथा 32– अधिकार अभिलेख में किसी का कब्जा अभिलिखित करने के लिए अधिकारिता नहीं– धारा 116 के अधीन एक वर्ष के भीतर अधिकार–अभिलेख में गलतियॉं ठीक की जा सकती है– धारा 115 तहसीलदार को कार्यवाही करने के लिये सशक्त करती है– धारा 32 का उपबन्ध वहॉं लागू होता है जहॉं संहिता में कोई अन्य उपबन्ध नहीं है।

धारा 121, नि. 6 से 11– कब्जा अभिलिखित करने की शक्ति– उपबन्धों के अधीन तहसीलदारों को उपलब्ध नहीं।"

ग्वालियर एग्रीकल्चरल कं. लि. डबरा वि. छोटेलाल तथा अन्य (1994 रा.नि. 411) में भी राजस्व मण्डल व्दारा यह निर्धारित किया है कि धारा 115 तथा

116 के अधीन पूर्व में विद्यमान प्रविष्टि शुद्ध की जा सकती है, नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती। तहसीलदार व्दारा कब्जा प्रविष्टि का आदेश अधिकारिता रहित है।

6/ उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व ना तो आवेदक को अभिलिखित भूमिस्वामी होते हुए प्रकरण में पक्षकार बनाया और ना ही उसे सुनवायी का कोई अवसर प्रदान किया। तहसील न्यायालय को संहिता की धारा 115/116 के अधीन खसरे में कब्जे की नवीन प्रविष्टि करने की अधिकारिता नहीं है, इस कारण तहसीलदार का खसरे में कब्जे की नवीन प्रविष्टि करने का आदेश देना अधिकारिता विहीन है। प्राकृतिक न्याय सिध्दान्त के विपरीत तथा अधिकारिता रहित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि के आधार पर तथा आयुक्त ने सिविल न्यायालय में स्वत्व का वाद विचाराधीन होने से यथावत रखने की त्रुटि की है।

7/ उपरोक्त स्थिति में निगरानी स्वीकार की जाती है। आयुक्त का आदेश दिनांक 05-03-13, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 09-08-12 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 14-02-97 निरस्त किये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,